

फा.सं.-12027/03/2021-रा.भा.(का-2)

भारत सरकार  
गृह मंत्रालय  
राजभाषा विभाग

\*\*\*


एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, जय सिंह रोड,  
नई दिल्ली-110001,  
दिनांक: 24.07.2021

कार्यालय जापन

विषय- बैंकों की नराकास में सदस्य कार्यालय के रूप में बीमा कंपनियों को शामिल किए जाने के संबंध में ।

केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी के कार्य को बढ़ावा देने में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां (न.रा.का.स.) अहम भूमिका निभाती हैं। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार बैंक व उपक्रम के लिए अलग-अलग नराकास का गठन किया जाता है तथा सदस्य कार्यालय के रूप में बैंकों की नराकास में केवल बैंक व उपक्रमों की नराकास में केवल उपक्रम तथा कार्यालय की नराकास में कार्यालय, बैंक व उपक्रम तीनों को शामिल किया जाता है।

2. राजभाषा विभाग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से अनुरोध है कि बैंकों की घटती संख्या तथा बीमा कंपनी की बैंकों जैसी कार्य प्रकृति को देखते हुए अब बैंक की नराकास में बैंकों के साथ-साथ बीमा कंपनियों (जहां ऐसा करना आवश्यक हो) को भी शामिल किया जा सकता है ।

  
24/07/21  
(राजेश श्रीवास्तव)

उप निदेशक (का.)

दूरभाष- 011-23438143

प्रति:-

1. सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय के कार्यालय प्रमुख, जहां आवश्यक हो, इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें ।